(वाद संख्या–1806/18)

21.06.2021

परिवादी, संतोष कुमार आनंद, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया गया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, संतोष कुमार आनंद, को बृजेश कुमार सिंह एवं बिरेन्द्र सिंह द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने व मार–पीट किये जाने से संबंधित मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है। पुनः परिवादी की ओर से राज्य आयोग को दिये गये अपने दूसरे परिवाद में कथन है कि पूर्व में दिये गये परिवाद पत्र मे धटित धटना के बाद उसके द्वारा हरि लाल दास, आकाश कुमार दिवाकर, विकास कुमार दास के विरूद्ध मलयपुर थाना कांड सं0–63/2017 संस्थित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि दोनों परिवादों में उल्लेखित धटना परस्पर संबद्ध है। लेकिन पुलिस द्वारा दोनों धटनाओं की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रहीं है। जब इस संबंध मे उसने थानाध्यक्ष, मलयपुर से पूछ–ताछ की गई तो उनके द्वारा उसके साथ जाति सूचक गाली गलौज की गई ।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, जमुई** के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमुई** के प्रतिवेदनानुसार उभय पक्ष के बीच धटित धटना के आधार पर मलयपुर थाना मे क्रमशः कांड सं0–63/17 व 64/17 संस्थित किया गया है

जिसमे पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त **आरोप–पत्र** समर्पित किया जा चुका है। पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार उत्क्रमित उच्च विद्यालय देवाचक(बरहट) भवन के निर्माण को लेकर उभय पक्ष के विरूद्ध विवाद है। इसी को लेकर परिवादी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरूपयोग करते हुए यत्र–तत्र आवेदन दिया जा रहा है।

अब जबकि, प्रसंगाधीन मामले में संस्थित दोनो मामलो मे पुलिस द्वारा **आरोप–पत्र** समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग द्वारा उन मामलो व उसके पृष्ठभूमि से संबंधित अनुसंधान के संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी उक्त के संबंध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

पुलिस अधीक्षक, जमुई के प्रतिवेदन को स्वीकर करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका हो राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **पुलिस अधीक्षक, जमुई** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको सहित) की प्रति संलग्न करने हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>